Popular Front of India

G-78, 2nd Floor, Shaheen Bagh, Kalindi Kunj, Noida Road, New Delhi- 110025

PopularFrontofIndiaOfficial/ www.popularfrontindia.org

popularfrontmail@gmail.com 011- 29949902

प्रेस रिलीज़

18 जून 2019
नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन बिल और देश भर में एनआरसी के विस्तार को पराजित करें
पॉपुलर फ्रंट की जनता से अपील

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक में सभी नागरिकों और पार्टियों से यह अपील की गई है कि वे विवादित नागरिकता संशोधन बिल (सीएबी) को फिर से लागू करने की कोशिशों को पराजित करें और असम में लागू राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की प्रक्रिया को देश के हर हिस्से में लागू करने के इरादों को असफल बनाएं।

केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया गया नागरिकता संशोधन बिल खुले तौर पर मुसलमानों के साथ भेदभाव करने वाला है। यह बिल इस्लाम के अलावा बाक़ी सभी धर्मों के मानने वालों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देता है, इसलिए यह बिल सेक्युलरिज़्म और लोकतंत्र के संवैधानिक सिद्धांतों को कमज़ोर करने वाला और मुसलमानों को अजनबी क़रार देने वाला एक बहुत ही घिनौना सरकारी क़दम है।

असम में एनआरसी की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया जाए:

बैठक ने सुप्रीम कोर्ट से असम एनआरसी की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने की अपील की है। असम एनआरसी से बाहर रह गए लोगों के लिए अपने दावे और आपत्ति दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतिम तिथि 31 जुलाई क़रीब आ रही है, लेकिन ज़मीनी रिपोर्ट यह बताती है कि इस प्रक्रिया की कठिनाई के कारण बहुत से लोग अपने दावे और आपत्ति दर्ज नहीं करवा पाए हैं। केवल प्रक्रिया की कमी के कारण हज़ारों लोग नागरिकता से हाथ धो बैठें और अपने ही देश में जहां वे पैदा हुए, पले बढ़े और इसके लिए लड़ाई लड़ी, बिना किसी नागरिक अधिकार के क़ैदी बनकर रह जाएं, इस मुसीबत से बचने की आवश्यकता है। अतः हम सुप्रीम कोर्ट से हालात की गंभीरता पर गौर करते हुए अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने की अपील करते हैं ताकि लोगों को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय मिल सके।

बैठक ने देश भर में एनआरसी के विस्तार की कोशिशों पर आपत्ति जताई है। विदेशी (ट्रिब्यूनल) आर्डर, 1964 में केंद्रीय गृहमंत्रालय द्वारा 30 मई को किये गए संशोधन के अल्पसंख्यकों के जीवन पर बहुत ही बुरे प्रभाव पड़ेंगे। यह संशोधन राज्य सरकार, जिला प्रशासन यहां तक कि सभी राज्यों के जिला मजिस्ट्रेट को ट्रिब्यूनल बनाने और नागरिकता के मामले में फैसला लेने के लिए ऐसे मामलों को रेफर करने का अधिकार देता है। एक बार अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्न खड़ा हो गया, तो उसे यह साबित करना पड़ेगा कि वह क़ानूनी नागरिक है। असम में, क़ानूनी नागरिकों विशेषकर बंगाली बोलने वाले

मुसलमानों का जीवन एनआरसी को ग़लत तरीके से लागू करने और विदेशी ट्रिब्यूनल के भेदभावपूर्ण रवैये के कारण बिखर कर रह गया है। सभी राज्यों से ''विदेशी धर्मों'' से संबंधित ''घुसबैठियों'' को खदेड़ने के अमित शाह के चुनावी वादे को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अन्य राज्यों में भी असम जैसे हालात पैदा करके सत्ता का दुरूपयोग किया जा सकता है। बैठक ने खबरदार करते हुए कहा कि अगर इस प्रकार की चालों को हर क़ीमत पर रोका नहीं गया, तो पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा।

इजरायल के पक्ष में भारतीय वोट फिलिस्तीनी उद्देश्य के साथ धोखाः

पॉपुलर फ्रंट की एनईसी की बैठक में पारित एक अन्य प्रस्ताव में बेईमान इजरायली देश के प्रति भारत के बढ़ते समर्थन की आलोचना की गई। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक व सामाजिक कौंसिल में फिलिस्तीन के गैरसरकारी संगठन 'शाहिद' को समीक्षक के स्टेटस से दूर रखने के लिए इजरायल के पक्ष में वोट देने का हमारी सरकार का फैसला फिलिस्तीनी उद्देश्य के समर्थन के हमारे लंबे समय से चले आ रहे स्टैंड से मुंह मोड़ना है। इजरायल के गठन के समय से ही भारत ने इस मामले में सही स्टैंड लिया है। भारत फिलिस्तीनी ज़मीनों पर इजरायल के क़ब्ज़े का विरोध और फिलिस्तीनी जनता की आज़ादी के संघर्ष का समर्थन करता आया है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में अन्यायपूर्वक इजरायल के समर्थन का मोदी सरकार का फैसला फिलिस्तीनी जनता के साथ धोखा है।

खुफिया समूहों से होशियार रहोः

पॉपुलर फ्रंट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद द्वारा पारित एक और प्रस्ताव में मुस्लिम युवकों को खबरदार किया गया है कि वे देश के कुछ हिस्सों में सक्रीय खुफिया समूहों से होशियार रहें। इस प्रकार की रिपोर्टें मिली हैं कि कुछ अतिवादी समूह सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से नौजवानों को वरगला रहे हैं। अगर इन रिपोर्टों पर विश्वास किया जाए तो निर्दोष लोगों पर बेवजह हिंसा का इन समूहों का मंसूबा पूर्ण रूप से इस्लाम के वैश्विक सिद्धांतों के खिलाफ होगा। साथ ही इन तरीकों को किसी भी लोकतांत्रिक और बहुलवादी समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पॉपुलर फ्रंट ने शुरू में ही इस समस्या की पहचान कर ली थी और वह जनता को यह कहती आया है कि वे उनके जाल में कभी न आएं। यह संदेश विभिन्न अवसरों पर जनता तक पहुंचाया गया है। हालिया रिपोर्टों को देखते हुए, बैठक ने इस ओर इशारा किया है कि समाज को इन खुफिया समूहों के खिलाफ हर तरह से होशियार रहना होगा।

चेयरमैन ई. अबूबकर ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें महासचिव एम. मुहम्मद अली जिन्ना, उपचेयरमैन ओ.एम.ए. सलाम, सचिव अब्दुल वाहिद सेठ व अनीस अहमद और कौंसिल के अन्स सदस्य उपस्थित रहे।

एम. मुहम्मद अली जिन्ना
महासचिव
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया